संख्या- 504/नौ-4-14-35ज/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक 26 अप्रैल, 2014

विषयः-उत्तर प्रदेश के नागर निकायों के कार्यरत /सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के विषय में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5391/नौ-4-10-35ज/2010, दिनांक 02 नवम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या-665/नौ-4-11-35ज/2010, दिनांक 22 मार्च, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार नागर निकाय के कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या-2775/ 5-6-11-1082/1987, दिनांक 20.09.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी है तथा चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या-474/5-6-11-1082/1987टीसी, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा उक्त नियमावली, 2011 में संशोधन करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 प्रख्यापित की गई है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त नागर निकाय के कार्यरत /सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 02.11.2010 तथा 22.03.2011 को अवक्रमित करते हुए चिकित्सा विभाग विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त नियमावली के शर्तो, नियमों तथा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

/

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Go-GN12

संख्या- 504(1)/नौ-4-14-35ज/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. नगर विकास अनुभाग-1/3/6/7
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

26/11/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Go-GN12